1.12.17

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा व रेकार्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि वादी के कब्जा काश्त की पैत्रिक आराजी ख0नं0 140 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 141 रकबा 0.03 हैक्टर, ~~ख0नं0~~ कुल किता-2 रकबा 0.05 हैक्टर व ख0नं0 134 रकबा 1.15 हैक्टर, ख0नं0 142 रकबा 2.52 हैक्टर कुल किता -2 रकबा 3.67 हैक्टर ग्राम हरदयालपुरा में अवस्थित है। जिसमें वर्तमान में खातेदारी 7/9 हिस्सा वादी, 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं0-1 का व 1/9 हिस्सा वादी की माता जो फौत हो चुकी जिसका एकमात्र वारिस वादी ही है । प्रतिवादी सं0-1 घीसाराम वादी का सगा भाई है जो मन्दबुद्धि था जो अविवाहित था और वह वादी के पास ही रहता था । दिनांक 31-1-1992 को प्रतिवादी सं0-1 वादी को बिना बताये ही घर से निकल गया जो आज दिनांक तक नहीं मिला । तथा किसी ने भी आज तक उसके जीवित होने के बारे में नहीं सुना । इस कारण प्रतिवादी सं0-1 का विवादित आराजी में से नाम हजफ किया जावे तथा वादी का उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रतिवादी सं0-1 की सिविल डेथ प्रमाण पत्र लेने पर ही खातेदारी प्रतिवादी के नाम से हजफ कर वादी को दी जावेगी यह कहते हुये दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर पेश की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।प्रतिवादी संख्या-1 मंदबुद्धि का था जो अविवाहित था और वह अपीलान्ट के पास ही रहता था ।वह अपीलान्ट को बिना बताये ही दि0 31-1-1992 को घर से निकल गया और आज तक

1-12-17

देखा है । रेस्पोडेन्ट सं0-1 की गुमशुदी की रिपोर्ट पुलिस थाना रघुनाथगढ में दिनांक 2-2-1992 को दर्ज करवाई गई जिसमें काफ तलास करने पर भी आज तक वह नहीं मिला । इस कारण रेस्पोडेन्ट सं0-1 की उपधारणा कर उसकी खातेदारी की भूमि में उसका नाम हजफ कर उसके स्थान पर अपीलान्ट के नाम खातेदारी घोषित किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय विधि के विपरित दिया है । अदालत मातहत ने जिला जज न्यायालय से ज्यूडिशियल डेथ करवाने पर ही खातेदार काश्तकार उदघोषित करवाने का निर्णय पारित किया है जो गलत है। जबकि कानून में ऐसा नहीं है। अदालत मातहत ने कल्पना के आधार पर अपना निर्णय दिया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा-108 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-60 व लैण्ड रेकार्ड रूल्स नियम 138 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में पिछले-7 वर्षों से जिन्दा रहने के बारे में नही सुना जाता है तो उसके स्थान पर उसकी मृत्यु की उपधारणा कर उसके उत्तराधिकारियों के नाम से खातेदारी की जानी चाहिये । किन्तु अदालत मातहत ने ऐसा न कर अपना निर्णय विधि के विपरित पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट सं0-1 के नोटिस पर काफी वर्षों से लापता होने की रिपोर्ट आई। जिसकी तामिल अदालत मातहत में जरिये अखबार में हुई । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के सम्बंध में एस0एच0ओ0 रघुनाथगढ से रिपोर्ट चाही जिस पर उन्होने मूल पर ही रिपोर्ट कर भिजवा दिया कि वह आज तक नहीं मिला । इस पर अपीलान्ट की

किया गया ।एस0एच0ओ0 थाना दादिया की रिपोर्ट के अनुसार घीसाराम 27 वर्ष पहले गुम हुआ जो आज तक नहीं मिला । यह रिपोर्ट न्यायालय के मूल पत्रांक 10408 दिनांक 14-11-2017 पर ही कर वापस भिजवाया है । सरपंच ग्राम पंचायत कुडली ने अपने पत्रांक दिनांक 13-7-17 में दर्ज किया है कि घीसा राम पुत्र मुनाराम पिछले 20 वर्षों से अविवाहित ही लापता हो गया जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है । नकल जमाबन्दी सं0-2065 से 2068 में ख0नं00140, 141 कुल किता-2 रकबा 0.05 हैक्टर की खातेदारी गणपत पुत्र मुनाराम हि0 7/9 घीसा पुत्र मूना हि0 1/9 लाडा बेवा मूना हि0 1/9 के नाम दर्ज है । ख0नं0134, 142 कुल किता-2 रकबा 3.67 हैक्टर की खातेदारी गणपत पुत्र मूना हि0 1/6, पन्नीदेवी स्त्री गणपत हि0 2/3, घीसा पुत्र मूना हि0 1/6 के नाम दर्ज है ।बहस के समर्थन में साक्ष्य अधिनियम की धारा-108, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-60 व लैण्ड रेकार्ड रूल्स नियम 138 पेश की है जिसमें बिन्दू "क" जिसको आसामी की मृत्यु हो जाने की दशा में आसामी के हित प्राप्त होते हों । यहां पर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 घीसाराम दिनांक 31-1-1992 से लापता है जो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आज तक नहीं मिला एवं सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के अनुसार घीसाराम का लगभग 20 वर्षों से अता पता नहीं बताया है । इससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेन्ट सं0-1 घीसाराम पिछले 20 साल से लापता है जिसकी जिन्दा होने की कोई सूचना नहीं है ।ऐसी स्थिति में यह अवधारणा लिया जाना उचित मानते है कि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 घीसाराम की खातेदारी उसके वारिसान के नाम घोषित किया जाना न्यायोचित ही होगी । अतः अपीलान्ट की अपील उपरोक्त

134/2011 — घीसा

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 4-7-2011 खारिज किया जाता है तथा विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या-1 घीसाराम का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 1.12.2017 को सुनाया गया । 1/12/17 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	